अतिआवश्यक

तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.
जल भवन, बाणगंगा चौराहा, टी.टी.नगर, भोपाल–462003
दूरभाष : (0755) 2779411, 2779412 ईमेल : encph@nic.in, बेवसाईट : www.phed.mp.gov.in

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष

क्रमांक 2543 /प्र0अ0/विधि/लो0स्वा0यां0वि0/2026 भोपाल, दिनांक 25/3/26

प्रति,

1. मुख्य अभियंता
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र– ग्वालियर
2. मुख्य अभियंता(वि./यां.)
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र– भोपाल
3. कार्यपालन यंत्री
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   खण्ड छिंदवाडा/राजधानी परियोजना खण्ड भोपाल/
   खण्ड विदिशा/खण्ड रायसेन

विषयः– स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से एरियर राशि प्राप्त कर लेने के उपरांत , उनके आदेश में उल्लेखित स्थायी वर्गीकरण के दिनांक (नियोजन से 240 दिवस बाद की तिथि) से एरियर राशि प्राप्त करने के लिए दायर किये गए न्यायालयीन प्रकरणों के प्रतिरक्षण के संबंध में।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र कमांक 13300, दिनांक 27.09.2023, कमांक 3173/दिनांक 02.04.2024, कमांक 4641/दिनांक 21.05.2024, कमांक 10778/दिनांक 22.11.2024 एवं कमांक 3172/दिनांक 09.04.2025 एवं कमांक 5638 दिनांक 04.07.2025

––0––

Speed Post

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके परिक्षेत्र खंड के अधीनस्थ कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से एरियर राशि प्राप्त करने के उपरांत स्थायी वर्गीकरण दिनांक से राशि प्राप्त करने हेतु न्यायालयीन प्रकरण दायर किए जा रहे है।

इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2009–10 के दौरान माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष दायर किये गये रिट याचिका प्रकरणों की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कर्मचारियों की ओर से माननीय रिट न्यायालय से कहा गया था कि वे स्थायी वर्गीकरण आदेश में उल्लेखित दिनांक से अपने लाभों को छोड़ने के लिए सहमत है तथा उन्हें एरियर राशि के लाभ स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से दे दिए जावें। ऐसी बहस के बाद माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा रिट याचिका कमांक 595/2010 (सुल्तान सिंह नरवरिया बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2010 में याचिकाकर्ता को जिस पद पर स्थायी वर्गीकृत किया गया है, उस पद का नियमित वेतनमान, कार्यपालन यंत्री द्वारा जारी किए गए कार्यालयीन आदेश के दिनांक यानि दिनांक 27.11.2004 से देने के आदेश दिए गए थे।

इसके अतिरिक्त स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से एरियर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष दायर की गई, रिट याचिका कमांक 2600/2009 (महेश मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य) के साथ अटैच लगभग 110 रिट याचिकाओं का निर्णय दिनांक 18.5.2011 को पारित हुआ था, जिसमें भी माननीय न्यायालय ने स्थायी वर्गीकरण के आदेश दिनांक से ही लाभ दिया था तथा निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख किया

था कि याचिकाकर्तागणों को एरियर राशि का लाभ आदेश जारी करने के दिनांक से ही प्राप्त हो सकेगा तथा उन्हें आदेश में उल्लेखित स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि का लाभ प्राप्त नहीं होगा। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी उल्लेख किया था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं ने इन रिट याचिकाओं के माध्यम से चाहे गए दूसरे सभी लाभों को स्वयं ही छोड़ दिया है।

यहॉ यह उल्लेख आवश्यक है कि रिट याचिका का यही निर्णय रिट अपील कमांक 110/2011 (मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम सुल्तान सिंह नरवरिया), 1265/2010, 1266/2010 आदि में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2011 द्वारा तथा बाद में विभाग द्वारा दायर की गई एस.एल.पी (सिविल) कमांक 20025/2011 (मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य बनाम सुल्तान सिंह नरवरिया) एवं अन्य कनेक्टेड मैटर में यथावत मान्य हुआ था तथा बाद में विभाग के 178 एस.एल.पी प्रकरणों में शामिल 519 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कार्यालयीन आदेश दिनांक से ही एरियर राशि का भुगतान किया गया था। विभागीय अवमानना याचिका (सिविल) कमांक 771/2015 (रामनरेश रावत एवं अन्य बनाम अश्विनी राय एंव अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 में इन लाभों को समुचित बताया गया था। "रामनरेश रावत" प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 की कण्डिका 4 में भी निम्नानुसार उल्लेख है:

> **It is also argued that even the direction of the High Court was to grant pay in the regular pay-scale with effect from the date of classification orders and there is no direction given by the High Court to give them increments etc. which is admissible only when a person is appointed on regular basis or whose services are regularised, which has not happened in the case of the petitioners.**

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि सारणी के रूप में जारी किए गए स्थायी वर्गीकरण आदेशों के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए गए स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि प्राप्त करने संबंधी रिट याचिकाओं का निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा काफी पूर्व में ही स्थायी वर्गीकरण आदेश दिनांक से एरियर राशि प्रदान करने के आदेश के माध्यम से किया जा चुका है तथा इन आदेशों को देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा भी अंतिमता प्रदान की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि प्राप्त करने के प्रकरणों को दोबारा माननीय न्यायालय के समक्ष लाना रिस ज्युडीकाटा के सिद्धांत के अनुसार किसी भी रूप में विधि अनुकूल नहीं है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थायी वर्गीकरण दिनांक से एरियर राशि संबंधी प्रकरणों में रिस ज्युडीकाटा के सिद्धांत के आधार पर तत्काल रिज्वाइंडर प्रस्तुत करावें तथा उसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करावें। यदि इस संबंध में निजी अधिवक्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता हो तो तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

आपके सुलभ संदर्भ हेतु, पत्र में उल्लेखित समस्त निर्णय विभागीय बेवसाइट phed.mp.gov.in पर Employee's corner शीर्षक के अंतर्गत Legal सेक्शन में कमांक 104 पर उपलब्ध कराएं गए हैं।

प्रमुख अभियंता

पृ0क्रमांक 2543 **/प्र0अ0/विधि/लो0स्वा0यां0वि0/2026 भोपाल, दिनांक** 25/3/26

प्रतिलिपि,

श्रीमति उपसचिव महोदया की ओर उनके द्वारा आहुत बैठक दिनांक 24.2.2026 को इस विषय पर हुई चर्चा के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस कार्यालय का मत है कि इस प्रकृति के प्रकरणों के प्रतिरक्षण हेतु निजी अधिवक्ताओं की सेवाओं की आवश्यकता होगी। विभाग के पास प्रतिरक्षण के सम्पूर्ण आधार मौजूद है। कृपया इस संबंध में इस कार्यालय एवं मुख्य अभियंता ग्वालियर कार्यालय को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रमुख अभियंता